प्रैस नोट

दिनांक 21.12.2020

आरा मशीन संचालक की हत्या का सफल अनावरण, घटना में सलिप्त तीनों अभियुक्त आलाकत्ल तमंचा व रक्तरंजित कपड़े सहित थाना रामघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2020 को श्री नारायण दत्त शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा निवासी वीरपुर छबीलगढ़ थाना जवां जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना रामघाट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसके पिता शिव कुमार शर्मा (उम्र करीब 65 वर्ष) करीब 15 वर्षों से थाना रामघाट क्षेत्र के गांव जरगवां में आरा मशीन पर लकड़ी का कार्य करते थे जिनकी दिनांक 07.12.2020 की रात्रि में आरा मशीन पर सोते समय अज्ञात अभियुक्तों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामघाट पर मु0अ0सं0-180/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों का पता लगाकर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रामघाट को निर्देशित किया गया था।

उक्त घटना की गहनता से की गयी विवेचना/कार्यवाही में अभियुक्त 1- सुभाष पुत्र धर्मपाल, 2- भारत पुत्र ज्योति सिंह निवासीगण ग्राम जरगवां थाना रामघाट बुलन्दशहर व 3- अरविन्द पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम देशी नगला थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़ के नाम प्रकाश में आये। आज दिनांक 21.12.2020 को थाना प्रभारी रामघाट श्री बच्चू सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अरविन्द व भारत को भारत के घर से व अभियुक्त सुभाष को उसके घर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त सुभाष की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व रक्तरंजित कपड़े भी उसके घर से बरामद किये गये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-</u>

1- सुभाष पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जरगवां थाना रामघाट बुलन्दशहर।

2- भारत पुत्र ज्योति सिंह निवासी ग्राम जरगवां थाना रामघाट बुलन्दशहर।

3- अरविन्द पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम देशी नगला थाना पालीमुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

1 - 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस (हत्या में प्रयुक्त)

2- अभियुक्त सुभाष के रक्तरंजित कपड़े

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि ग्राम जरगवां (घटनास्थल) पर स्थित आरा मशीन को पूर्व में अभियुक्त भारत व अरविन्द चलाते थे। इसके उपरान्त उक्त आरा मशीन को मृतक शिव कुमार शर्मा पिछले कई वर्षों से चला रहा था जिस कारण अभियुक्त भारत व अरविन्द मृतक शिव कुमार शर्मा से रंजिश रखने लगे थे तथा उसे भगाना चाहते थे परन्तु सफल नही हो पा रहे थे। इसलिए भारत व अरविन्द द्वारा शिव कुमार शर्मा को रास्ते से हटाने के लिए अपने साथी सुभाष को 50,000 रुपये का लालच दिया गया । चूंकि सुभाष भी मृतक की कमेटी के उठाये गये रुपये हड़पना चाहता था तथा योजनानुसार अभियुक्त सुभाष द्वारा दिनांक 07.12.2020 की रात्रि में आरा मशीन पर पहुँचकर शिव कुमार शर्मा की सोते समय तमंचे की बट से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी गयी थी।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामघाट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-</u>

1- श्री बच्चू सिंह थाना प्रभारी रामघाट

2- उ0नि0 बुद्धि प्रकाश गौतम, उ0नि0 तमीज अहमद

3- है0का0 प्रमोद कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 पंकज राणा, का0 सोहनपाल शर्मा